

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1975/आषाढ़ 2, 1897

No. 206]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1975/ASADHA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*New Delhi, the 23rd June 1975*

**S.O. 271(E).**—Whereas the Manipur Hills Union, a recognised State Party in the State of Manipur, has informed that the name of the said party has been changed as Manipur Hills-Plain Union and the Election Commission is satisfied on the basis of the records made available to it that the said change should be accepted;

Now, therefore, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its Notification No. 56/75-I, dated 31st January, 1975, published as S.O. No. 61(E) in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 31st January, 1975 and as subsequently amended from time to time, namely :—

*In Table 2*

Under column 2 'Name of the State Party' against Manipur for entry "2. Manipur Hills Union", the entry "2. Manipur Hills-Plain Union" shall be substituted.

[No. 56/75-VII]

By order.

A. N. SEN, Secy

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1975

का० आ० 271 (अ).—यतः मणिपुर राज्य में मान्यता प्राप्त राज्याय दल, मणिपुर हिल्स यूनियन ने यह सूचित किया है कि उक्त दल का नाम मणिपुर हिल्स-प्लेन यूनियन के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है और निर्वाचन आयोग को उल्लेख कराए गए अभिलेख के आधार पर इसका यह समाधान हो गया है कि उक्त परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए;

अतः अब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii), तारीख 31 जनवरी, 1975 के असाधारण अंक में का० आ० सं० 61 (अ) के रूप में प्रकाशित और तत्पश्चात् समय समय पर यथा संगोष्ठित अपनी अधिसूचना सं० 56/75-I, तारीख 31 जनवरी, 1975 में एतद्वारा निम्नलिखित संगोधन करता है :—

सारणी 2 में—

स्तम्भ 2 “राज्याय दल का नाम” में मणिपुर के समक्ष “2-मणिपुर हिल्स-यूनियन” प्रविष्टि के स्थान पर “2-मणिपुर हिल्स-प्लेन यूनियन” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 56/75-VII]

आदेश से,

ए० एन० सेन,  
सचिव।